न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, लिपडंग

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload
13/02/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

SAR 11/2013-14 .... विभाग

.... वर्ष .... रजिस्टर सं० ....

अनुज कुमार बनाम अमर उदय व अन्य

.... वर्ष .... के अधीन

.... अभिलेखागार में जाने की तारीख ....

क्रम सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को ... गया	पन्नों की संख्या	...	... की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
		13/5/22 13/7/22 29/8/22 11/10/22		2-1-19 6-2-019 15-5- 3-7-19 28-8-19 23/10/019 29.1.20 4.3.20 6.5.20 18/3/2021 19-5-2021 01/9/2021 8/10/2021 15/12/2021 28/1/2022 25/2/2022 8/4/22		24-5-17 21-6-17 26-7-17 23-8-17 4-10-17 8-11-17 20-12-17 7-2-18 7-3-18 11-4-18 23-5-18 4-7-18 29-8-18 31-10-18

Scanned with CamScanner

आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक—ता0.......................................से ....तक
जिला–सिमडेगा, संख्या *SAR 11 /2013* — *अनुज केरकेट्टा*
केस का प्रकार:— बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 — बनाम
अमर उरांव वगै०

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-6-2013 *19-7-2013* *5-8-2013* *13-8-2013* *3-9-2013* *23, 9-2013* *18-10-2013* *29-10-2013* *18-11-2013* *29-5-2013* *15-10-2016*	श्री *अनुज केरकेट्टा* पिता *स्व० रतना लोहरा* साकिन *परकला गिरजा टोली* थाना *कुरडेगा* जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी *अमर उरांव वो अनुप उरांव वो अरविन्द उरांव एवं अरुणा उरांव सभी पिता स्व० गिराज उरांव* साकिन— *परकला* थाना *कुरडेगा* जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: *परकला* — खाता सं0: *पीठ पर अंकित* — प्लॉट सं0: *पीठ पर अंकित* — रकबा: *पीठ पर अंकित* उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक *24-6-2013* को उपस्थापित करें। *[हस्ताक्षर] 6.13* अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	*forwarded* *24.5.17* *21.6.17*

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 11/2013–14
दिनांक.....

अनुज केरकेट्टा
बनाम
अमर उरांव वगै0

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अनुज केरकेट्टा, पिता–स्व0 एतवा लोहरा, साकिन–परकला गिरजा टोली, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी अमर उरांव वो अनुप उरांव वो अरविन्द उरांव एवं अरूण उरावं सभी पिता–स्व0 बिराज उरांव, सभी साकिन–परकला, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–11/2013–14 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
परकला	44	855	कुल रकबा–3.18 एकड़
		864	
		877	
	45/2	670	कुल रकबा–3.71 एकड़
		686	
		687	
		698	
		729	
		851	
		856	
		857	
		858	
		863	
		868	
		871	
		872	

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कुरडेग को इस न्यायालय के पत्रांक 142(ii)/विधि, दिनांक 06.06.2013 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, कुरडेग के पत्रांक–1265(ii), दिनांक 13.07.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत रंजीत लोहार वो बाना लोहार वो ठुठा लोहार पिता–दशक लोहार आवेदक का परदादा है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार रजिस्टर–II के रैयत एवं भूमि की विवरणी निम्नांकित है:–

कृ0पृ0उ0

Scanned with CamScanner

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा पंजी II रैयत का नाम
परकला	44	855	2.46 एकड़ बुधवा लोहरा वो सुखन लोहार, पिता–रंजीत लोहार
	45	670	0.32 एकड़ तदैव
		686	0.02 एकड़
		687	0.01 एकड़
		698	0.21 एकड़
		729	0.19 एकड़
		851	0.20 एकड़
		856	0.37 एकड़
		857	0.12 एकड़
		858	0.42 एकड़
		863	0.40 एकड़
		868	0.06 एकड़
			2.32 एकड़

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	पंजी II रैयत का नाम
परकला	44	864	0.41	एकड़ श्री विराज उरांव, पिता–स्व0 धोधीक उरांव उर्फ जोहन उरांव
		877	0.11 एकड़	
		855	0.20 एकड़	
	45/94	871	0.93 एकड़	
		872	0.46 एकड़	
			कुल 2.11 एकड़	

पंजी–II में उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी विराज उरांव के नाम दाखिल खारिज केस सं0–2R27/1976-77 के आधार पर कायत हुई है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है जो दिनांक 04.10.2017 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–11/2013–14 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 17:02:05 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner